

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० / 14 नि०फौ०

1- संतोष गुप्ता पुत्र श्री मूलचंद्र गुप्ता उम्र 50
वर्ष धंधा दुकानदारी निवासी 166 नरसिंहराव
टौरिया थाना कोतवाली जिला झांसी उ०प्र०
.....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1- शासन पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म०प्र०
.....अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्ता द्वारा श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता
प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

// आ दे श //

(आज दिनांक को पारित किया गया)

1- पुनरीक्षणकर्ता की और से पुनरीक्षण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 399 द०प्र०सं० का निराकरण किया जा रहा है । पुनरीक्षणकर्ता ने जे०एम०एफ०सी० गोहद पीठासीन अधिकारी श्री एस०के० तिवारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-4-14 जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की और से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 द०प्र०सं० निरस्त किया गया है ।

2- पुनरीक्षण के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का ट्रक क्रमांक यू०पी०-93 टी-7722 को थाना मौ के द्वारा थाना के अपराध क्रमांक 196/14 अंतर्गत धारा 363 द०प्र०सं० में जप्त किया गया है जो कि फरियादी बालकृष्ण जाटव की रिपोर्ट के आधार पर कि उसकी नाबालिग पुत्र का व्यपहरण आरोपी बसीम खां जो कि उक्त ट्रक का ड्राइवर था के द्वारा ट्रक से ले जाकर किया गया जो कि थाना मौ में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 363 भा०द०सं० का प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराध दर्ज हुआ है

जिसमें कि उपरोक्त ट्रक की जप्ती की गई है ।

3- उक्त जप्तशुदा ट्रक को सुपुर्दगी पर लेने बावत आवेदनपत्र जे0एम0एफ0सी0 गोहद के समक्ष पेश किया गया जो कि दिनांक 7-6-14 के आदेश के द्वारा उपरोक्त आवेदनपत्र निरस्त किया गया है ।

4- पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से आवेदनपत्र में यह आधार लिया गया है कि जप्त की गई विषय वस्तु जिसे सुपुर्दगी में लेने का आवेदन दिया गया था उसके द्वारा स्वयं कोई अपराध नहीं किया गया है । उसका चालक आरोपी गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है । ट्रक असुरक्षित दशा में थाने में खड़ा है जहां कि खराब हो सकता है । आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता सुपुर्दगीनामा की सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा । ऐसी दशा में आवेदनपत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 7-6-14 को निरस्त करते हुये जप्तशुदा ट्रक सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया ।

5- राज्य की और से ए0पी0पी0 ने पुनरीक्षण आवेदनपत्र का विरोध किया ।

6- पुनरीक्षण के निराकरण के लिये विचारणीय यह है कि:-

1- क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7-6-14 वैधता, शुद्धता, एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य ना होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार:-::

7- पुनरीक्षणकर्ता अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि जप्तशुदा वाहन के संबंध में केवल यह आक्षेप लगाया गया है कि उक्त वाहन से उसका ड्राइवर कथित रूप से नाबालिग को ले जाकर व्यपहरण किया था जो कि उक्त ट्रक आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है ट्रक की जप्ती हो चुकी है तथा कोई साक्ष्य ट्रक से एकत्रित की जानी हो ऐसा कहीं भी अभियोजन के द्वारा नहीं बताया गया है । ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सुपुर्दगीनामा पर दिये जाने बावत प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का आदेश उचित नहीं है ।

8- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना मौ के अप0क0 196/14 धारा 363 भा0द0सं0 में ट्रक क्रमांक यू0पी0-93-टी-7722 की जप्ती की गई है । उक्त जप्तशुदा वाहन आवेदक के स्वामित्व का होने के संबंध में वाहन का रजिस्ट्रेशन ,

बीमा, परमिट व फिटनेस की छायाप्रति जप्त की गई है जो कि मूल से मिलान करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक संतोष गुप्ता उक्त जप्तशुदा वाहन ट्रक का पंजीकृत स्वामी है । उक्त ट्रक जप्त कर थाना मौ में रखा गया है । ट्रक के चालक जिसके द्वारा कि व्यपहरण का अपराध किया जाना बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तथा न्यायालय से जमानत पर छोड़ा जा चुका है । उक्त ट्रक से किसीप्रकार की कोई साक्ष्य संकलित की जानी हो ऐसा भी कहीं अभियोजन के द्वारा नहीं बताया गया है । निश्चित तोर से यदि ट्रक अधिक दिनों तक थाने में खड़ा रहता है तो वह खराब हो सकता है ।

9— विचार उपरांत जब कि जप्तशुदा ट्रक की कोई आवश्यकता साक्ष्य के रूप में इस स्टेज पर रह गई है ऐसा दर्शित नहीं होता तथा आवेदक जो कि वाहन का पंजीकृत स्वामी है उसे उक्त वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित होगा । आवेदक की और से प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदनपत्र स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7-6-14 को अपास्त करते हुये पुनरीक्षणकर्ता की और से 9 लाख रुपये का सुपुर्दगीनामा तथा दो लाख रुपये की जमानत संबंधित जे०एम०एफ०सी० की संतुष्टि योग्य निम्न शर्तों के साथ पेश करे तो वाहन वापिस हेतु पत्र जारी हो ।

1— आवेदक उक्त वाहन को विक्रय, रहन, दान या अन्य किसी प्रकार से अंतरित नहीं करेगा ।

2— आवेदक उक्त वाहन के रंगरूप एवं आकार में परिवर्तन नहीं करेगा ।

3— न्यायालय जब जब तलब करेगा स्वयं के व्यय पर न्यायालय में पेश करेगा ।

आदेश की एक प्रति संबंधित जे०एम०एफ०सी० की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जाये ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

